रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एच.आर.-अ.-03012024-251120 CG-HR-E-03012024-251120

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945

No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए) अधिसूचना

गुरुग्राम, 18 दिसम्बर, 2023

JERC-29/2023.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, श्री जगदीश चन्द्र, निदेशक (अभियांत्रिकी) को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य से नामित किया गया है।

एस. डी. शर्मा, सचिव (l/c) [विज्ञापन-III/4/असा./668/2023-24]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)
NOTIFICATION

Gurugram, the 18th December, 2023

JERC-29/2023.—In terms of Sub-section (1) of Section 19 of Right to Information Act, 2005, Shri Jagdish Chander, Director (Engineering) has been designated as Appellate Authority for the purpose of Right to Information Act, 2005.

S. D. SHARMA, Secy. (I/c) [ADVT.-III/4/Exty./668/2023-24]

79 GI/2024